कार्यालय सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

संख्या - 158/2024 शीर्षक ......कमलाबाई....... बनाम ......सरकार......

क्रमांक	कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
	प्रा. प. ....दर्ज रजिस्टर कर सम्मन बनाम मुद्दा की मय नकल...136.........नोटिस जारी कर वास्ते जवाब दि...09.12.24......को पेश हो। सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द	
	09.12.24 पत्रा० पेश हुई। अधि० प्रार्थी उप०/ विपक्षी को जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त/ पैरोकार राज उप०/ जवाब हेतु अवसर चाहा पत्रा० दि० 21.01.25 को पेश हो।	
	21.01.25: पत्रा. पेश हुई। अधि. प्रार्थी उपस्थित। पैरोकार उप.। विपक्षी, तहसीलदार राजसमंद का जवाब पेश नहीं, अवसर चाहा जो दिया गया। पत्रा. वास्ते जवाब दि. 18.02.25 को पेश हो।	
	18-2-25 वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारी राज काज प्रबन्ध/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक...19-5-25......को पेश हो।	
	19.05.25 पत्रा० पेश हुई अधि० प्रार्थी उप० पैरोकार राज उप० विपक्षी का जवाब दि० 30.04.25 को प्राप्त होकर शा० भा० हुआ	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम – बृजेश गुप्ता (R.A.S)
मुकदमा नम्बर – 158/2024
किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक – 25.10.2024
निर्णय दिनांक – 19.05.2025

अनवान

1. कमलाबाई पत्नि नारायण सालवी निवासी सोनियाणा तहसील व जिला राजसमन्द।

......................प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द जिला राजसमन्द।

......................विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित

अधिवक्ता प्रार्थी – श्री जीतेन्द्र पालीवाल
विपक्षी – पेरोकार राज

<u>निर्णय</u>

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सोनियाणा पटवार हल्का भावा तहसील कुंवारिया में स्थित आराजी संख्या 1170, 1171, 1172, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1193, 785, 786, 787, 790, 784, 1176, 1157 भूमियों मे प्रार्थीया का नाम टमुबाई पत्नि नारायण के नाम से सहखातेदारी के रूप मे दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीया के राशनकार्ड, जनआधार कार्ड, बैंक डायरी में प्रार्थीया का नाम कमलाबाई पत्नि नारायणजी अंकित हैं। प्रार्थीया के उपरोक्त सभी राजकीय दस्तावेजो में प्रार्थीया का नाम कमलाबाई पत्नि नारायण जी अंकित हैं किन्तु उपरोक्त जिन खसरा नम्बर का उल्लेख किया गया हैं, उन जमीनों में प्रार्थीया का नाम टमुबाई पत्नि नारायण जी लिख देने के कारण प्रार्थीया अपने हक अधिकारो से वंचित हो रही हैं। प्रार्थीया को अपने खाते की जमीनों पर बैंक से ऋण प्राप्त करनें, रहन, बय, बक्षीस करनें आदि सभी कार्यो में दस्तावेज व जमाबन्दी में भिन्न भिन्न नाम होनें से भारी समस्या उत्पन्न हो रही हैं। भविष्य में प्रार्थीया के दिवंगत हो जानें पर उक्त भूमियों का नामान्तरकरण भी अपने वारिसों के नाम पर नहीं हो पायेगा और प्रार्थीया अपने मौलिक अधिकारो से वंचित हो जायेगी। उक्त खाते की भूमियों में प्रार्थीया का नाम कमलाबाई की जगह टमुबाई लिख दिया हैं, जिसको दुरूस्त कराया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सोनियाणा के खसरा नम्बर 1170, 1171, 1172, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1193, 785, 786, 787, 790 एवं खसरा नम्बर 784 एवं खसरा नम्बर 1176 एवं खसरा नम्बर 1157 में अंकित टमुबाई पत्नि नारायण जी की जगह कमलाबाई पत्नि नारायण जी सालवी अंकित किया जावे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। विपक्षी सरकार की और से तहसीलदार कुंवारिया ने प्रार्थना पत्र के क्रम मे जवाब/मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि नारायण की मृत्यु के पश्चात् नामान्तकरण संख्या 396 से विरासत से नारायण के बजाय नाबालिग रेखा, गंगा पिता नारायण, टमुबाई बेवा नारायण का नाम दर्ज हुआ। वादीया का नाम पर्चा मौका एवं दस्तावेज अनुसार कमलाबाई पत्नि नारायण बलाई है। अतः ग्राम सोनियाणा की वर्तमान खाता 4, 16, 96, 214 मे टमुबाई के बजाय कमलाबाई दर्ज किया जाना उचित है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीया को सुना जिन्होने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम सोनियाणा पटवार हल्का भावा तहसील कुंवारिया में स्थित आराजी संख्या 1170, 1171, 1172, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1193, 785, 786, 787, 790, 784, 1176, 1157 भूमियों मे प्रार्थीया का नाम टमुबाई पत्नि नारायण अंकित कर दिया गया। जिसे दुरूस्त किया जाकर टमुबाई की जगह कमलाबाई पत्नि नारायण किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

हमने अधिवक्ता प्रार्थीया को सुनकर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2077 अनुसार राजस्व ग्राम सोनियाणा पटवार हल्क तहसील कुंवारिया में स्थित आराजी संख्या 1170, 1171, 1172, 1182, 1183, 1184, 1185, 1187, 1193, 785, 786, 787, 790, 784, 1176, 1157 भूमियों मे प्रार्थीया का नाम टमुबाई नारायण के नाम सहखातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीया उक्त नाम के बजाय अपना स टमुबाई पत्नि नारायण के बजाय कमलाबाई पत्नि नारायण करवाना चाहती है। तहसीलदार कु द्वारा प्रस्तुत जवाब/मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया का वास्तविक नाम कमलाबाई पत्नि नारा अतः तहसीलदार कुंवारिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनिम 1956 स्वीका जाकर राजस्व ग्राम सोनियाणा पटवार हल्का भावा तहसील कुंवारिया में स्थित आराजी संख्या 1171, 1172, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1193, 785, 786, 787, 790, 784, 1176 भूमियों मे प्रार्थीया का नाम टमुबाई पत्नि नारायण के बजाय टमुबाई उर्फ कमलाबाई पत्नि किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन हेतु तह कुंवारिया को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

बृजेश गुप्ता (R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द

उक्त आदेश आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्त न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द